



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 210]
No. 210]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 2, 2005/श्रावण 11, 1927
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 2, 2005/SRAVANA 11, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2005

सं. 36 (आर ई-2005)/2004-2009

फा. सं. 01/94/180/खण्ड बुक/एम 06/पी सी-1.—विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्वारा, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. परिशिष्ट-8 में क्रमांक-57 पर मौजूदा प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित कृषि-निर्यात जोनों को जोड़ा जाता है :

क्रमांक	उत्पाद	राज्य	शामिल जिले
58	दार्जिलिंग चाय	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग
59	धनिया	राजस्थान	कोटा, बूंदी, बारन, झालवाड़ और चित्तौड़
60	जीरा	राजस्थान	नागौर, बारमेड़, जालौर, पाली और जोधपुर

2. आयात-निर्यात प्रपत्र के भाग 4 में निम्नलिखित पैरा को पैरा 5क के तौर पर जोड़ा जाता है,

5क. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हमने निर्यात-आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2004-2009 की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-3 में यथानिहित स्कोमेट मदों की सूची को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा निर्यातित/निर्यात हेतु प्रस्तावित मद (मदें) इस सूची के भीतर नहीं आती तथा मैं/हम विदेश व्यापार नीति, आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-2 और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निहित स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु नीति के प्रावधानों को पालन करने को सहमत हूँ/हैं, स्कीम का ध्यान किए बिना जिसके तहत मद का निर्यात/निर्यात करने का प्रस्ताव किया जाता है (स्कोमेट मद हेतु निर्यात लाइसेंस का आवेदन करने के मामले में रेखांकित अंश को हटा दिया जाएगा)।

3. "उद्गम के प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों (गैर तरजीही) की सूची" से संबंधित परिशिष्ट-4ग में निम्नलिखित एजेंसी को जोड़ा जाता है :

महाराष्ट्र :

23. मैसर्स विदर्भ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
पहला तल, उद्योग भवन, सिविल लाइन्स,
नागपुर-440001
ईमेल : via_ngp2sancharnet.in
वेब साइट : www.via-india.com
फोन नं. : 0712 256 1211
फैक्स : 0712 254 5190
इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 2nd August, 2005

No. 36 (RE-2005)/2004—2009

F. No. 01/94/180/Handbook/AM 06/PC-I—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Handbook of Procedures (Vol. I) :—

1. After the existing entry at Sl. No. 57, in Appendix 8, the following new Agri-Export Zones are added :

Sl. No.	Product	State	Districts Covered
58	Darjeeling Tea	West Bengal	Darjeeling
59	Coriander	Rajasthan	Kota, Bundi, Baran, Jhalawar and Chittor
60	Cumin	Rajasthan	Nagaur, Barmer, Jalore, Pali and Jodhpur.

2. The following Para is added as Para 5A in the Part 4 of the Aayaat Niryaat Form,

5A. I/We hereby declare that I/We have perused the list of SCOMET items as contained in the Appendix 3 to the Schedule 2 of the ITC (HS) Classifications of Export-Import Items, 2004—2009 and that the item(s) exported/proposed to be exported does not fall within this list and that I/We agree to abide by the provisions of the Policy for export of SCOMET items contained in the Foreign Trade Policy, Schedule 2 of ITC (HS) and the Handbook of Procedures (Vol. 1), irrespective of the scheme under which the item is exported/proposed to be exported (the underlined portion will be deleted in case an application for export license for SCOMET item is being filed).

3. The following agency is added in Appendix 4C pertaining to the "List of Agencies authorised to issue Certificate of Origin (Non Preferential)" :

Maharashtra

23. M/s. Vidarbha Industries Association
1st Floor, Udyog Bhawan, Civil Lines,
Nagpur-440001
E-Mail : via_ngp2sancharnet.in
Web site : www.via-india.com
Phone No. : 0712 256 1211
Fax : 0712 254 5190

This issues in Public interest.

K. T. CHACKO, Director General of Foreign Trade and Ex-officio Addl. Secy.